झारखण्ड सरकार
मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राँची,दिनांक–30.01.2019

संख्या-*91/2019*

- झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक हुई
- उपायुक्त हर माह एसटी-एससी शिकायतों की समीक्षा करें-- रघुवर दास, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आयी शिकायतों की उपायुक्त हर माह समीक्षा करेंगे। इसकी रिपोर्ट मंगायें। इससे मुआवजा आदि के मामले के निपटारे में तेजी आयेगी। उपायुक्त के पास फंड रहता है, उन्हें तत्काल मुआवजा के लिए निर्देश जारी करें। उक्त निर्देश उन्होंने अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिये।

समिति के सदस्यों के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थानों को यह निर्देश जारी कर दिये जाये कि आवेदक को दौड़ाये नहीं। दूसरे थाने का मामला हो, तब भी शिकायत दर्ज कर संबंधित थाने को भेज दें। बैठक में सुझाव आया कि अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाये। लोगों को यह भी बताया जाये कि गलत शिकायत करनेवालों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

बैठक में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ लुईस विधायक विधायकों में सर्वश्री श्री शिव शंकर उरांव, श्री नारायण दास, श्री जयप्रकाश सिंह भोक्ता, श्रीमती मेनका सरदार, श्री ताला मरांडी, श्रीमती विमला प्रधान, श्रीमती गंगोत्री कुजूर, श्री लक्ष्मण टुडू, श्री हरि कृष्ण सिंह और श्री नागेंद्र महतो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार बर्णवाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण सचिव श्रीमती हिमानी पाण्डे समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

###

==========

#Team PRD(CMO)